production is estimated as the product of the area and the per hectare yield. In large parts of the country, area estimates are collected on the basis of complete area enumeration though in some parts they are based on sample surveys. The per hectare yield is based on crop cutting experiments by the random sampling technique. Estimates of production in respect of about 97 per cent of the total area under rice are based on the results of crop cutting experiments. In Andhra Pradesh and Madhya Pradesh, separate samples are selected for irrigated and unirrigated areas; in other States a composite sample is selected.

Estimates of production of rice available at present relate to the entire crop and separate estimates for irrigated and unirrigated areas are not built. A statement showing estimates of total area and production of rice for 1974-75 and irrigated and unirrigated areas under rice during 1972-73 in different States is laid on the Table of the House. (Placed in Library. See No. LT-11181/76].

नर्मदा परियोजनाओं पर न्यायाधिकरण का निर्णय

1182. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण द्वारा कब तक अपना अंन्तिम निर्णय घोषित कर देने की सम्भावना है; और

(ख) क्या प्रस्तावित परियोजनाओं पर कोई कार्य चल रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) हालांकि न्यायाधिकरण द्वारा अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा करने की हर कोशिश की जा रही है फिर भी यह बताना सम्भव नहीं है कि न्याय-निर्णय संबंधी कार्यवाही कब पूरी हो जाएगी और रिपोर्ट कब दी जाएगी ।

(ख) न्यायाधिकरण की रिपोर्ट प्राप्त होने तक और न्यायाधिकरण के समक्ष अपने दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सम्बद्ध राज्यों में मार्च 1975 में यह सहमति हो गई थी कि भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं की सामान्य रूप से जो जांच की जाती है, उसके हो जाने के बाद और भारत सरकार की स्वीकृति मिल जाने पर गुजरात कर्जन, हेरन रामी, और सुखी परियोजनाओं और मध्य प्रदेश सरकार, कोलार, बिछिया, सुक्ता और बिछुआ-नाटिया परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर सकती है । इस बीच केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात की रामी परियोजना और मध्य प्रदेश की बिछिया और सुक्ता परियोजनाओं को क्रियान्वयन के लिए स्वीकार किया जा चुका है ।

Irrigation Schemes after the 20-Point Economic Programme

1183. SHRI Y. ESWARA REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether a number of New Irrigation Schemes were taken up after the introduction of 20-Point Economic Programme in different States; and

(b) if so, the broad outlines and the results achieved therefrom?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI KEDAR NATH SINGH): (a) and (b). The additional potential of 5 million ha. envisaged under the 20-Point Economic Programme from major and medium irrigation schemes during the last four years of the Fifth Plan would mostly be obtained from the on-going schemes.

Since the announcement of the programme in July 1975, 14 major and 49 medium irrigation schemes with an irrigation potential of 1.24 million ha. have been approved/cleared upto 31st May, 1976 for execution. Implementation of these schemes would, however, depend upon the availability of resources with the State Governments.

मध्य प्रदेश में भूमिगत जल

1184. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई प्रयोजनों के लिये मध्य प्रदेश में कुल कितने भूमिगत जलसंसाधन उपलब्ध हैं ;

(ख) इस में से अनुमानत: कितने जल का उपयोग कर लिया गया है ; और

(ग) इस राज्य में वर्ष 1976–77 में सिंचाई प्रयोजनों के लिये भूमिगत जल का उपयोग करने की क्या योजना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) अनन्तिम अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिये उपलब्ध भूमिगत जल संसाधन लगभग 30 अरब घन मीटर हैं ।

(ख) वर्ष 1973-74 के अन्त में लगभग 5 अरब घनमीटर भूमिगत जल की मात्रा का उपयोग किए जाने का अनुमान है ।

(ग) 1976–77 के दौरान निम्नलिखित भूमिगत जल योजनाएं क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ।

(1) नये खोदे जाने वाले कुओं की संख्या .	50,000
(2) विद्युत पम्पों की संख्या	20,000
(3) डीजल पम्पों की संख्या	8,000
(4) रहटों की संख्या .	5,000
(5) बोरिंग के कूपों की संख्या	100
(6) गहरें किए गए कूपों की संख्या . .	6,300
(7) उथले नल-कूपों की संख्या	1,000

Allotment of Ready Built Houses by D.D.A. to Grouping Societies in Delhi

1185. SHRI P. M. MEHTA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether some of the grouping societies registered in the D.D.A. for allotment of land for building houses in Delhi have requested for allotment of ready built houses; and

(b) if so, whether the Government are considering to allot the houses to such societies instead of land?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

Soil and Water Management Project of Kerala

1186. SHRI C. JANARDHANAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether a pilot project for soil and water management in the Avacut of Kuttiyadi and Murattupazha Irrigation Projects has been submitted by the Kerala State Government